समक्ष–उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा

21 सितंबर, 2022

आपराधिक अपील संख्या 392 सन् 2013

के मध्य

मुंतज उर्फ लाला ..अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ...प्रतिवादी

एवं

आपराधिक अपील संख्या 381 सन् 2013

के मध्य

शहजाद व अन्य ...अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ...प्रतिवादी

एवं

आपराधिक अपील संख्या 393 सन् 2013

के मध्य

मुंतज उर्फ लाला ...अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ...प्रतिवादी

एवं

आपराधिक अपील संख्या 394 सन् 2013

के मध्य

राशिद उर्फ रुल्हा ...अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ...प्रतिवादी

एवं

आपराधिक अपील संख्या 395 सन् 2013

के मध्य

नियाजी ...अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ...प्रतिवादी

अपीलार्थी के अधिवक्ताः	श्रीमती नीतू सिंह, विद्वान अधिवक्ता संग श्री बी.डी. पांडे।
राज्य सरकार के अधिवक्ता	श्री अमित भट्ट, विद्वान उप महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड सरकार।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों की सुनवाई के उपरांत इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय पारित किया:

(द्वाराः श्री संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति)

अपीलों के इस समूह को दाखिल करके, अपीलार्थियों द्वारा उनके भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 302, 307/149 के तहत दोषसिद्धि और अपीलार्थी मुंतज उर्फ लाला के

संबंध में दोषसिद्धि अन्तर्गत धारा 25(1बी)(ए) के विरूद्ध योजित की गई है। उन्हें धारा 307/149 एवं धारा 25(1बी)(ए) के तहत दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न अवधियों हेतु कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उनकी उच्चतम दोषसिद्धि, जो भा0दं0सं0 की धारा 302 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत, की गई है, उन्हें आजीवन कारावास और रुपये 5,000/–रू0 के जुर्माने से प्रत्येक को दण्डित किया गया है तथा चूक की दशा में, छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है।

2. बिना अनावश्यक विवरण के, अभियोजन का यह कथानक है कि दिनांक 15.04.2006 को लगभग 10:00 बजे रात्रि में गुलफाम, मृतक, अपने मामा अब्दुल मलिक के घर से वापस लौट रहा था। जब वह मोहल्ला सैनीपुरा, हरिद्वार में मस्जिद के सामने था, अपीलार्थीगण अपने आप को छुपा रहे थे और गुलफाम को देखते ही उन्होंने मृतक पर गोलियां चला दीं। जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आयीं और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का शिकायतकर्ता चश्मदीद गवाह था, जो मृतक का भाई है, और उसके बाद उसने हरिद्वार जिले के मंगलौर पुलिस स्टेशन में तहरीर दर्ज कराई। परिणामस्वरूप, थानाध्यक्ष द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 133/2006 दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता को परीक्षित किया, उसका बयान दर्ज किया, उसने अन्य चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज किए, मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया, फर्द बरामदगी बनाई गई, मृतक के शरीर पर पाये गये चोटों एवं खून के धब्बों की भी मौके पर जांच कर निरीक्षण किया गया। उसके द्वारा इन एकत्रित सामग्रियों को रासायनिक एवं सीरोलॉजिकल जांच के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) देहरादून भेजा गया। उसके द्वारा अन्वेषण के क्रम में व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और शहजाद की निशानदेही पर, अपराध में प्रयुक्त हथियार, एक स्वदेशी निर्मित पिस्तौल बरामद किया गया, जिसे विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष भी पेश किया गया है।

3. अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत जांच अधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल दस गवाहों का परीक्षण करवाया। पी0डब्ल्यू–01 अहसान पुत्र सरफीन अहमद, मामले का शिकायतकर्ता एवं घटना का चश्मदीद गवाह भी है। पी0डब्ल्यू–07 मतलूब पुत्र मो. उमर, निवासी मोहल्ला सैनीपुर, मंगलौर भी घटना का चश्मदीद गवाह है, लेकिन वह मृतक या शिकायतकर्ता से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। पी0डब्ल्यू–02 अर्शिदा उर्फ नेहा पत्नी मृतक गुलफाम, पी0डब्ल्यू–03 रफीक पुत्र अब्दुल करीम, मृतक के पिता और पी0डब्ल्यू–08 नाज़नीन पुत्री मृतक, जो कि एक बाल गवाह है एवं परीक्षण के समय लगभग 13 वर्ष की आयु की है, उपरोक्त घटना के चश्मदीद साक्षीगण हैं। पी0डब्ल्यू–04 डॉ0 अखिलेश अग्रवाल ने मृतक के शव का पोस्टमार्टमकर्ता है। बाकी साक्षीगण औपचारिक या विभागीय साक्षी हैं। पी0डब्ल्यू–10 श्री जसवंत सिंह, अन्वेषण अधिकारी हैं।

4. इस मामले में बचाव पक्ष ने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयानों में अपने बचाव में साधारण रूप से इन्कार किया गया और झूठे आरोप लगाये जाने का कथन किया गया। हालांकि अपीलार्थी शहजाद ने मौके पर उपस्थित न होने का तर्क भी दिया है तथा अपने तर्क के समर्थन में डी0डब्लयू–01 इमरान को परीक्षित कराकर यह साबित कराने की कोशिश की है कि वह सैनीपुर मोहल्ले में मौजूद नहीं था और जमात देखने के लिए जयपुर, राजस्थान गया हुआ था।

5. विद्वान विचारण न्यायाधीश, चार चश्मदीद गवाहों और चिकित्सा साक्ष्य एवं साथ ही साथ मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन आरोपों को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है तद्नुसार अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया है।

6. सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. पांडे एवं श्रीमती नीतू सिंह द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन के कथानक को इस आधार पर संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि यद्यपि यह अभियोजन कथानक का ही मुख्य आधार है कि सभी छह व्यक्तियों ने मृतक पर गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरूप उसे कई चोटें आईं, लेकिन घटना में प्रयुक्त मात्र एक हथियार, जो एक स्वदेशी निर्मित पिस्तौल है, मुमताज के कब्जे से बरामद किया गया था और किसी भी अन्य अपीलकर्ताओं से अपराध का कोई हथियार बरामद नहीं किया गया। उनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि इन चश्मदीद गवाहों के साक्ष्यों को अभियोजन कथानक को सिद्ध करने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता क्योंकि पी0डब्ल्यू–01, पी0डब्ल्यू–02, पी0डब्ल्यू–03 एवं

पी0डब्ल्यू–08 मृतक के सम्बंधी हैं, इसलिए हितबद्ध गवाह हैं। जहां तक घायल गवाहों का संबंध है, अभियोजन ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उन्हें चोटें आई हैं क्योंकि इन व्यक्तियों अर्थात पी0डब्ल्यू–01, पी0डब्ल्यू–02, पी0डब्ल्यू–03 एवं पी0डब्ल्यू–08 की चिकित्सा जांच रिपोर्ट को न तो प्रदर्शित किया गया है, न ही साबित किया गया है। हालांकि यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर प्रार्थना पत्र, उन दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के सम्बंध में, लंबित है।

7. हमारा मत है कि इस विलंबित चरण में दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील दायर करने के लगभग 10 वर्षों की समाप्ति के उपरांत, संहिता की धारा 391 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है और यह अपीलकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। मामले के उक्त पहलू को देखते हुए हम इस स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।

8. विद्वान उप महाधिवक्ता श्री अमित भट्ट, द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक, इस तथ्य के मद्देनजर उचित संदेह से परे स्थापित होता है कि सभी चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और उनकी प्रतिपरीक्षा में एक भी विरोधाभाष नहीं है, जिससे कि उनके साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि मात्र इस आधार पर की चार चश्मदीद गवाह मृतक से सम्बंधित थे, उनकी गवाही को विचारण क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता, विशेषतया इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चश्मदीद गवाह किसी निर्दोष को बचाने हेतु झूठी गवाही देंगे तथा वास्तविक दोषियों को बचायेंगे। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि घ ाटनास्थल का उद्देश्यपूर्ण विनिश्चय तथा साथ ही मौके से खून की उपस्थिति, यह साबित करता है कि मामले की जांच उचित तरीके से की जा रही थी और अभियोजन कथानक को खारिज करने का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि इस मामले में चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन कथानक को समर्थित करते हैं क्योंकि चिकित्सा अधिकारी, जिसको एक विशेषज्ञ के रूप में परीक्षित कराया गया, द्वारा स्पष्टतया पाया गया कि मृतक की मृत्यु चोटों के कारण हुई, जो कि आग्नेयास्त्रों द्वारा कारित की गई। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता राज्य सरकार के विद्वान उप महाधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हैं और यह कथन करते हैं कि अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

9. ऐसे मामले में, जहां मुख्य अपराध, आपराधिक मानव वध है, में प्रथमतः इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि क्या अभियोजन ने यह साबित किया है कि मृतक की मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी या नहीं? प्रस्तुत मामले में मृतक के शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के सामने मृतक की पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं था। डॉ0 अखिलेश अग्रवाल, जिनको पी0डब्ल्यू–04 के रूप में परीक्षित कराया गया, ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 16.06.2004 को वह एचएमजी जिला अस्पताल, हरिद्वार में वरिष्ठ चिकित्सक थे। उस दिन उनके द्वारा अपरान्ह् 12:30 बजे मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। शव की शिनाख्त सी.पी. बलदेव सिंह व सुशील कुमार द्वारा की गई थी। पोस्टमार्टम परीक्षण के दौरान उन्हें निम्नलिखित चोटें दर्शित हुईः–

चोट संख्या 01– फटा हुआ घाव जिसकी माप 52 सेमी.x 4.6 सेमी मस्तिष्क की गुहा तक गहरा जो चेहरे के बायीं ओर बायें नथुने से 0.5 सेमी. बाहर और नीचे तथा बायें कान से 6 सेमी. सामने की और मेन्डीबुल और दोनों दायीं व बायीं मैक्सिल हड्डी टूटी हुई थी, घाव के चारों ओर कालापन था।

चोट संख्या 02– फटा हुआ घाव जिसकी माप 3.5 सेमी. x 3.2 सेमी. x पेट की गुहा तक गहरा जो पीठ पर बायीं ओर की इलियाक क्रेस्ट 13 सेमी. उपर था तथा बीच की लाईन से 7 सेमी. दूरी पर था तथा घाव के चारों ओर कालापन था।

चोट संख्या 03– अनेक कटे हुए घाव व कुल संख्या 07 जिनकी माप 4 सेमी. x 4 सेमी. त्वचा गहरा जो बायें हाथ तथा बायीं बीच की अंगुली व बांयी तर्जनी के पीछे की ओर 9 सेमी. x 7 सेमी. के क्षेत्र में थे घाव के चारों ओर कालापन था।

चोट संख्या 04 अनेक घिसे हुए घाव 23 सेमी. x 16 सेमी. के क्षेत्र में जो पेट व सीने की बायीं बाहरी हिस्से पर थे। बायीं इलियाक क्रेस्ट से 7 सेमी. उपर थे कुल संख्या 6 थी तथा अण्डाकार में थे तथा उनकी माप 0.5 सेमी. x 04 सेमी. (सबसे बड़ा) से लेकर 0.4 सेमी., 0.3 सेमी. पर थे तथा

कालापन था।

10. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे प्रदर्श क–3 (संलग्नक–3) के रूप में प्रदर्शित किया गया है, से दर्शित होता है कि पोस्टमार्टम परीक्षण के दौरान चार गंभीर चोटें मिली हैं। यद्यपि इन गवाहों ने यह कथन किया है कि पोस्टमार्टम दिनांक 16.06.2004 को किया गया था, जबकि वास्तव में पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.04.2006 को ही तैयार कर ली गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि टंकण संबंधी त्रुटि के कारण, इस तरह की विसंगति बयान में दर्ज की गई है और इसलिए, इसे अधिक महत्व भी नहीं दिया जा सकता है, खासकर जब बचाव पक्ष ने मामले को इस विशेष पहलू के दृष्टिगत कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की।

11. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतक को चार चोटें आयीं थी, जो चिकित्सक के अनुसार आग्नेयास्त्र द्वारा कारित हो सकती हैं। इस प्रकार, यह भी स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु बेहोशी और हृदयघात, जो आग्नेयास्त्रों की चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और हाइपोवॉलेमिक शॉक से हुआ, के कारण हुई। उसके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया गया कि मृतक के शरीर से 75 छर्रे मिले थे। इस प्रकार, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु निश्चित रूप से मानव वध थी और आग्नेयास्त्रों द्वारा कारित की गई थी।

12. चूंकि अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चश्मदीद गवाह पी0डब्ल्यू–01, पी0डब्ल्यू–02, पी0डब्ल्यू–03 एवं पी0डब्ल्यू–08 मृतक से संबंधित गवाह होने के नाते उनके साक्ष्य को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अतः हमने पी0डब्ल्यू–07 के साक्ष्य की भी जांच की। वह उसी मोहल्ले का रहने वाला है, जहां घटना घटित हुई। पी0डब्ल्यू–07 ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 15.04.2006 की रात्रि करीब 10:00 बजे जब वह उनके मुहल्ले में स्थित मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल रहा था, तो उसने पाया कि मृतक गुलफाम और उसकी पत्नी अर्शिदा, दो बच्चों के साथ जिसमें नाज़नीन भी थी, अपने मामा के घर से लौटते हुए वापस जा रहे थे, और अपने घर को जा रहे थे। जिस समय वे सैनीपुर मस्जिद के सामने पहुंचे, अपीलकर्ताओं, यथा नियाज, मुंतज उर्फ लाला, शाकिब, राशिद शहजाद मुस्ताक व दो अन्य लोग जो पहले से वहां स्वदेशी निर्मित पिस्तौलों के साथ खड़े थे, ने घोषणा की कि हमें गुलफाम को मार देना चाहिए और फिर उस पर फायरिंग कर दी। मुस्ताक उर्फ लाला, अपीलकर्ता शाकिब मुंतज ने रफीक को मारा, शहजाद ने नाजनीन एवं सोनिया पर गोलियां चलाई। उसके द्वारा स्ट्रीट लाईट होने के कारण पूरी घटना देखी। इस गवाह से लंबी प्रतिपरीक्षा की गई है। जिरह में उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि वह न्यायालय में अभियुक्तों के विरूद्ध बयान देने आया है और वह यह नहीं कह सकता है कि क्या मृतक का अपीलकर्ताओं से कोई संबंध था, लेकिन उसने आगे कहा कि वह मृतक से संबंधित नहीं है लेकिन वह मृतक को जानता था। हालांकि इस गवाह से विस्तार से जिरह की गई है परन्तु उसके बयानों में कोई भी विरोधाभाष बचाव पक्ष, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 जा0फौ0 के तहत दर्ज किए गए उसके पूर्व के बयान के संबंध में, दर्शित नहीं कर पाया। अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू–07 ने सभी अपीलकर्ताओं को उनके द्वारा मृतक को गोली मारने की घटना में विशेष रूप से दर्शित किया गया है।

13. जहां तक अन्य चश्मदीद गवाहों का संबंध है, यानी पी0डब्ल्यू–01, पी0डब्ल्यू–02, पी0डब्ल्यू–03 एवं पी0डब्ल्यू–08, उनके साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि सभी अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ताओं का यह कथन नहीं है कि उक्त गवाहों द्वारा अपीलकर्ताओं को अपराध में शामिल नहीं माना गया है, परन्तु उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे मृतक से संबंधित हैं और इसलिए हितबद्ध साक्षी है।

14. कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी गवाह पर सिर्फ इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि वह मृतक से संबंधित है। वास्तव में, एक संबंधित गवाह होना गवाही को और भी महत्वपूर्ण बना देता है क्योंकि यह उम्मीद नहीं की जाती है कि एक संबंधित गवाह वास्तविक दोषी को बचायेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराध में फंसायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि यदि कोई यह आरोप हो कि वे अपीलकर्ताओं को झूठी गवाही देकर फंसा रहे हैं तो उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और विचारण करना

चाहिए। हालाँकि, इस मामले में जैसा कि अपीलकर्ताओं के साथ–साथ विद्वान उप महाधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि इन सभी साक्षियों ने अपीलकर्ताओं को अपराध कारित करने में शामिल माना है और उनके बयान में यथा पिछले बयान यानी एफआईआर में या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है। निर्णय में इन गवाहों के साक्ष्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर जोर देते हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत निर्धारित किये हैं जो उन मामलों पर लागू होने चाहिए जहां चश्मदीद गवाह मृतक के संबंधी हैं।

15. अशोक कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य (2008) 12 एससी –173 के मामले में निर्णय के प्रस्तर संख्या 7 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जहां तक पीड़ित के रिश्तेदारों के साक्ष्य की साख का सवाल है यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की अधिक सावधानी के साथ परीक्षण करना चाहिए तथा अभियोजन में उनके हित मात्र के आधार पर ऐसे साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जा सकता है। गवाह का संबंध उसकी विश्वसनीयता को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है। इसी कारण से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अवधारित किया कि, कोई गवाह अपराध का शिकार होता है तो उसे ''हितबद्ध'' साक्षी के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी सुस्थापित है कि ''हितबद्ध'' से आशय यह है कि संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह चाहता है कि आरोपी किसी भी प्रकार से दोषसिद्ध घोषित किये जाये, चाहे उसकी अभियुक्तों से कोई दुश्मनी हो या कोई अन्य छिपा हुआ उद्देश्य हो।

16. करण सिंह व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 12 SCC 587 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह भी अवधारित किया है कि घायल गवाह के साक्ष्य का अधिक साक्षीय महत्व है, जब तक कि कोई ठोस कारण अविश्वास करने हेतु मौजूद न हों, उनके बयान को हल्के में खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

17. इन सिद्धांतों को मौजूदा मामले में लागू करते हुए, इस अदालत का मत है कि अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि सभी चश्मदीद गवाहों ने अपीलकर्ताओं को अपराध कारित करने में शामिल माना है। वास्तव में, उन्होंने प्रत्येक अपीलकर्ता की विशिष्ट भूमिका का वर्णन किया है। विद्वान अधिवक्ताओं को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि इन गवाहों ने अपीलकर्ताओं को अपराध कारित करने में शामिल माना है और उन्होंने अपने तर्कों के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि हालांकि इन गवाहों की लंबी जिरह की गई तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान बचाव पक्ष द्वारा उनके बयानों में एक भी विरोधाभास नहीं पाया जा सका।

18. उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में हमारा यह मत है कि उपरोक्त गवाहों के साक्ष्यों, जो कि स्वतंत्र चश्मदीद गवाह पी0डब्ल्यू–07 मतलूब एवं चिकित्सा साक्ष्यों से भी समर्थित हैं, इस प्रकरण में दखल देने हेतु कोई गुंजाइश हो।

19. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. पांडे एवं श्रीमती नीतू सिंह ने हालांकि भावनात्मक रूप से यह तर्क दिया कि चूंकि अन्वेषण अधिकारी, अपीलकर्ता मुंतज को छोड़कर अन्य अपीलकर्ताओं से कोई भी हथियार बरामद नहीं कर सका, जिसे धारा 25 (1) (बी) के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है, अभियोजन कथानक पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

20. कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दोषपूर्ण अन्वेषण अपने आप में बरी होने का आधार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह अवधारित किया है कि यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है कि अन्वेषण किसी आपराधिक मुकदमे में एकमात्र न्यायिक परिशीलन का विषय नहीं हो सकता है, आपराधिक मामलों में न्यायालय के निष्कर्ष को मात्र अन्वेषण की सम्भाव्ययता के आधार पर निर्भर होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह भी अवधारित किया है कि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि भले ही अन्वेषण अवैध एवं संदिग्ध हो तब भी बाकी साक्ष्यों की स्वतंत्र रूप से परीक्षण एवं इसके प्रभाव का परिशीलन किया जाना चाहिए। अन्यथा आपराधिक परीक्षण उस स्तर तक नीचे गिर जाएगा जहां अन्वेषण अधिकारी शासन कर रहे हैं। अन्वेषण अधिकारियों द्वारा की गई आपराधिक मुकदमे में कार्रवाई पर न्यायालय का प्रभुत्व एवं श्रेष्ठता होनी चाहिए। मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई गलतियों के लिए आपराधिक न्याय को किसी भी दृष्टि से विफल नहीं बनाया जाना चाहिए।

21. दूसरे शब्दों में, अगर न्यायालय आश्वस्त है कि घटना के गवाहों की गवाही सत्य है, तो न्यायालय उन गवाही के आधार पर निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है, भले ही मामले में अन्वेषण अधिकारी की भूमिका संदिग्ध हो। इस संबंध में हमारे द्वारा करनाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1995) 5 एससीसी 518, कर्नाटक राज्य बनाम के. यारप्पा रेड्डी, (1999) 8 एससीसी 715, सी. मुनियप्पन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 SCC 567, तथा अरविंद कुमार बनाम राजस्थान राज्य, 2021 SCC ऑनलाइन SC 1099, के मामलों में दिये गये निर्णयों को विचार में लिया गया।

22. अरविंद कुमार बनाम राजस्थान राज्य (उपरिवर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि दोषपूर्ण अन्वेषण एवं एक सोची–समझी की गई कार्यवाही या निष्क्रियता के बीच सूक्ष्म अंतर होता है। एक दोषपूर्ण अन्वेषण अपने आप में अभियुक्तों के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं होती है, जब तक कि यह अभियोजन कथानक के मौलिक प्रकृति के मामले की जड़ में न जाए। एक दोषपूर्ण अन्वेषण पर विचार करने के दौरान, न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों को हर कोण से परीक्षण करे तथा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश इस सिद्धांत के आधार पर करे कि हर मामले में सच्चाई ढूंढने के लिए साक्ष्यों की एक लम्बी यात्रा सम्मिलित होती है। अभियोजन या न्यायालय द्वारा मामले के रूप में कोई पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए क्योंकि मामले में नैतिकता के बजाय कानून का तत्व शामिल होता है

23. इस मामले में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा जानबूझकर एवं पक्षपात कार्यवाही की गई है, बल्कि उनका तर्क है कि अन्वेषण अधिकारी ने सभी अपीलकर्ताओं के कब्जें से हथियारों की बरामदगी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये, मात्र अपीलकर्ता मुंतज को छोड़कर।

24. हमारा मत है कि हालांकि इस अपीलीय स्तर पर विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा इस तरह का तर्क दिया गया है, परन्तु परीक्षण के दौरान कोई ऐसा विशिष्ट प्रतिपरीक्षा इस संबंध में नहीं की गई और अन्वेषण अधिकारी के विरूद्ध भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उसके द्वारा जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण इरादे से, केवल अपीलकर्ताओं को फंसाने के लिए अन्वेषण किया गया हो।

25. वहीं दूसरी तरफ, अपराध के हथियार की ऐसी गैर–जब्ती मृतक की हत्या के मामले में अपीलकर्ताओं को फंसाने की तुलना में उनके मामले को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तागण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्धि को खण्डित नहीं कर पाये।

26. आपराधिक परीक्षण और एक आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य का परिशीलन विचारण न्यायाधीश के मजबूत सामान्य समझ और प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान पर निर्भर करती है। विचारण न्यायाधीश के पास गवाहों के व्यवहार को देखने का अवसर होता है क्योंकि उन्होंने अपीलकर्ताओं के बयान, उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में, न्यायालय में दर्ज किया होता है। विचारण न्यायाधीश द्वारा साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत दिये गये निष्कर्ष को अपीलीय न्यायालय द्वारा हल्के ढंग में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

27. उक्त को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा मत है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश के पास अपीलकर्ताओं के खिलाफ उपलब्ध सबूतों के आधार पर बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टिकोण था और वे एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे, जो एक न्यायालय का उत्तरदायित्व है और इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। एकमात्र बिंदु जो ठोस रूप से उठाया गया है वह यह है कि पी0डब्ल्यू–02, पी0डब्ल्यू–03 एवं पी0डब्ल्यू–08 की चोटों की रिपोर्ट को चिकित्सक द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

28. हालांकि, इस अपील में संहिता की धारा 391 के तहत एक प्रार्थना पत्र भी योजित किया गया है। हमारे द्वारा पूर्व प्रस्तर में उक्त प्रार्थना पत्र को पहले ही खारिज किया जा चुका है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह त्रुटि हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि अपीलकर्ता को धारा 307/149 के तहत अपराधों के लिए बरी कर देना चाहिए क्योंकि अभियोजन चोटें साबित नहीं कर पाया।

29. उपरोक्त के दृष्टिगत, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सभी अपीलकर्ताओं की धारा 307/149 के तहत दोषसिद्धि को निरस्त किया जाता है। सभी अपीलकर्ताओं को दंड संहिता

की धारा 307/149 के तहत आरोपों से उन्मोचित किया जाता है। नतीजतन, इस संबंध में दी गई सजा को भी निरस्त किया जाता है।

30. हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302/149 के तहत सभी अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि तथा कारावास तथा धारा 25 (1)(बी)(ए) के अन्तर्गत मुंतज की दोषसिद्धि एवं कारावास को सम्पुष्ट किया जाता है। तदनुसार अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। परीक्षण न्यायालय के अभिलेखों को वापस भेजा जाए।

(आलोक कुमार वर्मा, जे.) (संजय कुमार मिश्रा, जे.)

21.09.2022

(इस आदेश की अत्यावश्यक प्रति नियमानुसार जारी करें)